राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 27/06/2023 को संपन्न 472वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023 को डॉ. बी.पी. नौन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. धन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार धोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स छापरभानपुरी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री नरपत मौर्य), ग्राम–छापरभानपुरी, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2093)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 279298/ 2022, दिनांक 27/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/07/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी दिनांक 17/04/2023

(परिवेश 2.0 में ऑनलाईन तकनीकी त्रुटि होने के कारण जानकारी मई माह में दर्शित हुई) को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–छापरभानपुरी, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1415, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–12,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरपत मौर्य, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत छापरभानपुरी का दिनांक 22/12/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलौंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 187/खनिज/उत्ख.यो./2022–23 दंतेवाड़ा, दिनांक 07/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 543/खनिज/ख.लि. 4/02/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 15/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.77 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 545/खनिज/ख.लि.4/02/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 15/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री नरपत मौर्य के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 582/खनिज/ख.लि.4/02/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 02/05/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के पृ. ज्ञापन क्र. 3982/खनि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017(1) नवा रायपुर, दिनांक 12/06/2023 द्वारा जारी की गई पत्र की प्रति प्रस्तुत कि गई है जिसके अनुसार **"छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 26/06/2020**

(प्रकाशन दिनांक 30/06/2020) के नियम 42 के उप–नियम (5) परन्तु के तहत् संचालक को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृत प्राप्त करने एवं उत्खनि पट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जिला–जगदलपुर के ज्ञापन क्र./क.त.अ./1005 जगदलपुर, दिनांक 06/04/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–छापरभानपुरी 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–छापरभानपुरी 1.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। इन्द्रावती नदी 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,34,450 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,34,975 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,900 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर तथा कुल माज़ा 7,100 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,000
द्वितीय	12,000
तृतीय	12,000
चतुर्थ	12,000
पंचम	12,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 630 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार (नीम, करंज, अर्जुन, शीशम) पौधों के लिए राशि 12,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 90,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,000 रूपये, रख–रखाव एवं सिंचाई आदि के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,54,600 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं

रख–रखाव हेतु कुल राशि 2,00,800 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष **विस्तार** से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18	2%	0.36	Following activities at Nearby, Village- Chhaparbhanpuri	
			Pavitra Van Nirman	2.98
			Total	**2.98**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 95,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,03,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत छापरभानपुरी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1137, क्षेत्रफल 0.33 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,100 घनमीटर है, जिसमें से 2,900 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा एवं शेष 4,200 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 1166/8, क्षेत्रफल 0.13 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 543/खनिज/ख.लि.4/02/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 15/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.77 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–छापरभानपुरी) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–छापरभानपुरी) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 3.77 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स छापरभानपुरी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री नरपत मौर्य) को ग्राम–छापरभानपुरी, तहसील–लोकपाल, जिला–बस्तर के खसरा क्रमांक 1415 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता–12,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स सर्वोत्तम इस्पात, औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2396)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 427973/2023, दिनांक 03/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट नं 2 एवं 3 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल–0.4515 हेक्टेयर (4,515.08 वर्गमीटर) में रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (एम. एस. राउण्ड, रिब्ड बार, सी.टी.डी. बार्स, फ्लैट्स, स्क्वैयर, एंगल, चैनल एवं गेट चैनल) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 1.35 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिलीप छुगानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस. राउण्ड, रिब्ड बार, सी.टी.डी. बार्स, फ्लैट्स, स्क्वैयर, एंगल, चैनल एवं गेट चैनल) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 15/03/2019 को जारी की गई, जो दिनांक 30/04/2024 तक वैध है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोविड–19 महामारी के कारण उद्योग में पूर्व दो वर्षों से उत्पादन का कार्य नहीं किया गया है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- समीपस्थ आबादी ग्राम रावांभाठा 800 मीटर, स्कुल भनपुरी 950 मीटर एवं अस्पताल भनपुरी 1.48 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 2.3 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 17.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.4 मीटर दूर है। खारून नदी 5.8 कि.मी. एवं धोकरा नाला 800 मीटर दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लीज का विवरण** – छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मेसर्स सर्वोत्तम इस्पात, औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा, जिला–रायपुर (प्रो.– श्री दिलीप छुगानी) को प्लॉट नं. 2 (पार्ट), क्षेत्रफल 0.31 एकड़ हेतु लीज 08/02/2006 से दिनांक 24/09/2089 तक, प्लॉट नं. 3 पार्ट (खसरा क्रमांक 705/1पार्ट एवं 705/8पार्ट), क्षेत्रफल 0.495 एकड़ हेतु लीज दिनांक 22/08/2017 से दिनांक 28/01/2090 तक एवं प्लॉट नं. 2 (पार्ट), क्षेत्रफल 0.31 एकड़ हेतु लीज दिनांक 03/02/2007 से दिनांक 02/02/2106 तक जारी किया गया है, इस प्रकार कुल 1.115 एकड़ (0.4515 हेक्टेयर) हेतु लीज जारी की गई है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Particular	Area (Sq.m)	Area (%)
1.	Rolling mill area	961.05	21.28
2.	Raw material area	623.25	13.80
3.	Finished goods area	431.00	9.55
4.	Parking area	124.40	2.75
5.	Office	120.00	2.66
6.	Green belt	1,490.00	33.00
7.	Road area	565.30	12.53
8.	Open area	200.08	4.43
	Total	**4,515.08**	**100**

5. रॉ–मटेरियल :–

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets/ Ingots	31,500	Open Market	By Road

6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 30,000 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल स्थापित है। स्थापित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का वेट स्क्रबर लगाया गया है एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाता है। फयुजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–800 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–700 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 9 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। समिति का मत है कि भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1,000 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया गया है, जिसमें चिमनी की ऊँचाई 6 मीटर है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.1490 हेक्टेयर (33%) क्षेत्र में 190 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका का क्षेत्रफल 33% से बढ़ाकर 40% किया जाना आवश्यक है एवं वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 तक किया गया है। उक्त के संबंध में सूचना दी गई।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

ii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

iii. Project proponent shall submit an affidavit that there will be no increase in coal quantity.

iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

v. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.

vi. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.

vii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

viii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit the Central Ground Water Authority NOC for uses of water.

xii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xiii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of 40%.

xvii. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xviii. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स अंकित स्टील, रिंग रोड–2, ग्राम–गोदवारा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2397)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 428039/2023, दिनांक 04/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रिंग रोड–2, ग्राम–गोदवारा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 243/3, 245/1 एवं 245/2, कुल क्षेत्रफल–0.607 हेक्टेयर में रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (एम. एस. फ्लैट, एम. एस. राउण्ड बार, एम. एस. एंगल्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रूपये 8.28 करोड़ है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजकुमार देवांगन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जल एवं वायु सम्मति –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा वि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 04/05/2022 को जारी की गई, जिसकी वैधता 01/08/2022 से 31/07/2025 तक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. भू–स्वामित्व – भू–स्वामित्व संबंध दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि खसरा क्रमांक 243/3 रकबा 0.061 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 245/2 रकबा 0.243 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 243/3 रकबा 0.056 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 245/1 रकबा 0.247 हेक्टेयर मेसर्स अंकित स्टील (पार्टनर– श्री जयप्रकाश अग्रवाल) के नाम पर है।

3. समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- समीपस्थ आबादी सरोरा 200 मीटर, स्कूल सरोरा 700 मीटर, अस्पताल गुढ़ियारी 1.62 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन 2.8 कि. मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 17.4 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। खारून नदी 7.7 कि.मी. एवं छोकरा नाला 6.5 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. लैण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Particular	Area (Sq.m)	Area (%)
1.	Plant area	3055	50.3
2.	Green belt	2,003	33.0
3.	Internal road, Parking etc	752.4	12.4
4.	Open area	259.6	4.3
	Total	**6,070.00**	**100**

5. रॉ–मटेरियल –

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Ingots/Billets/ Bloom	32,000	Local Market	By road

6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of existing Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled Steel products – 30,000 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में ईंधन के रूप में कोयले को कोल गैसीफायर के माध्यम से गैस का उपयोग किया जाता है। कोल गैसीफायर से जनित टॉर को अधिकृत कोल टॉर इकाई को प्रदाय किया जाता है। स्थापित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का वेट स्क्रबर लगाया गया है एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाता है। फ्यूजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–892 टन प्रतिवर्ष, एण्डकटिंग–1,308 टन प्रतिवर्ष, मुन्सिपल वेस्ट–9.3 टन प्रतिवर्ष, बेग फिल्टर से जनित डस्ट–36 टन प्रतिवर्ष, पलाई ऐश–352 टन प्रतिवर्ष एवं युज्ड ऑयल 0.5 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल को फैरो एलॉय यूनिट को प्रदान एवं एण्ड कटिंग को इण्डक्शन फर्नेश इकाई को प्रदान किया जाता है। यूस्ड ऑयल को अधिकृत रिसाईक्लर को विक्रय किया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु प्रारंभ में कुल 13.5 घनमीटर (वन टाईम) जल की आवश्यकता होती है। परियोजना के नियमित संचालन हेतु फ्रेश वॉटर कुल 8 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं वृक्षारोपण हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाएगा। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाता है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 8 घनमीटर प्रतिदिन की अनुमति प्राप्त की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था होना बताया गया है। समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 5000 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी

लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.व्ही.ए. क्षमता का डी. जी. सेट स्थापित स्थापित किया गया है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 2.005 वर्गमीटर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 500 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका का क्षेत्रफल 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है एवं वृक्षारोपण हेतु (पौधो की संख्या सहित) पौधो का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 तक किया गया है। उक्त के संबंध में सूचना दी गई थी।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

ii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

iii. Project proponent shall submit an affidavit that there shall be no increase in consumption of coal.

iv. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that no increase in coal consumption under any circumstances.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.

vii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier (if any) along with its capacity use in reheating furnace.

viii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

ix. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall complete plantation work at the time of EIA.

xiii. Project proponent shall submit submit the disposal of solid waste at the time of EIA.

xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of 40%.

xix. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xx. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स सुकमा सेण्ड क्वारी (मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सुकमा) ग्राम–सुकमा, तहसील व जिला–सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2401)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 428234 / 2023, दिनांक 06 / 05 / 2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सुकमा, तहसील व जिला–सुकमा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 138, कुल क्षेत्रफल–4.928 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शबरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता–49,280 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजू कुमार, सहायक राजस्व निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि शबरी नदी छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसी बारहमासी नदी है, जो वन क्षेत्रों से होकर बहती है तथा यह सदा–नीरा नदी है। इस नदी में चट्टान, रेत, जंगली घास तथा नदी जल सभी सामूहिक रूप से मिलकर एक विशिष्ट प्रजाति के झींगें का प्राकृतिक रहवास बनाती है। इस झींगे की विशिष्ट प्रजाति का शबरी नदी विशिष्ट रहवास है इसलिए झींगे की यह प्रजाति शबरी नदी में ही पायी जाती है। झींगे की यह प्रजाति आकार में लगभग 10 इंच तक तथा गहरे भूरे और काले रंग की होती है। स्थानीय आदिवासियों का यह प्राकृतिक परम्परागत आहार भी रहा है। झींगे की यह विशिष्ट प्रजाति फ्रेश वॉटर/रिवर वॉटर में पायी जाने वाली बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है, जिसका प्राकृतिक रहवास में संरक्षण एवं संवर्धन की महती आवश्यकता है।

शबरी नदी में प्रवाहित जल, नदी तल में स्थित चट्टानों के कारण Static और Flowing दोनों प्रकृति का है। इसके फलस्वरूप यह विशिष्ट झींगा प्रजाति के लिए उत्तम प्रजनन केन्द्र का निर्माण करता है। झींगे की यह विशिष्ट प्रजाति शबरी नदी के Perrenial Fresh water Riverine ecosystem में endemic nature की है शबरी नदी अपनी पूरी लंबाई में Rare Perrenial fresh water wet land ecosystem के रूप में स्थित है, जो इस प्रकार की छत्तीसगढ़ में एकमात्र नदी है, जो सुकमा, कोंटा एवं नदी किनारे वनक्षेत्रों, आदिवासी ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा भी है। शबरी नदी में रेत उत्खनन की किसी भी अनुमति से झींगे की विशिष्ट एवं दुर्लभ प्रजाति के प्राकृतिक रहवास को आघात/हानि पहुँचने की आशंका है, जिससे इस दुर्लभ प्रजाति के लुप्त होने का हमेशा खतरा बना रहेगा। अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैव–विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ एवं संचालक, मत्स्य पालन विभाग, छत्तीसगढ़ को शबरी नदी के झींगा के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाना आवश्यक है:–

1. शबरी नदी के फौना (Fauna) की जानकारी।
2. शबरी नदी की जैव–विविधता (Biodiversity) एवं परिस्थितिकीय तंत्र (Ecological System) की जानकारी।
3. शबरी नदी में विशेष प्रकार के प्रजाति के झींगे (Prawn) की विस्तृत जानकारी।
4. रेत उत्खनन से इस दुर्लभ विशिष्ट Endemic प्रजाति के झींगे (Prawn) के रहवास (Habitat) को हानि होने की संभावना कितनी होगी?
5. क्या यह प्राकृतिक झींगें की दुर्लभ प्रजाति विलुप्त/संकटापन्न श्रेणी में आती है?
6. शबरी नदी Ecologically Sensitive Wetland Ecosystem की विस्तृत जानकारी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैव–विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ एवं संचालक मत्स्य पालन विभाग, छत्तीसगढ़ को नदी के झींगा के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए:–

1. शबरी नदी के फौना (Fauna) की जानकारी।
2. शबरी नदी की जैव–विविधता (Biodiversity) एवं परिस्थितिकीय तंत्र (Ecological System) की जानकारी।
3. शबरी नदी में विशेष प्रकार के प्रजाति के झींगे (Prawn) की विस्तृत जानकारी।
4. रेत उत्खनन से इस दुर्लभ विशिष्ट Endemic प्रजाति के झींगे (Prawn) के रहवास (Habitat) को हानि होने की संभावना कितनी होगी?
5. क्या यह प्राकृतिक झींगें की दुर्लभ प्रजाति विलुप्त/संकटापन्न श्रेणी में आती है?
6. शबरी नदी Ecologically Sensitive Wetland Ecosystem की विस्तृत जानकारी।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैव–विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ एवं संचालक मत्स्य पालन विभाग, छत्तीसगढ़ को पत्र लेख किया जाए।

5. मेसर्स उदईबंद सेण्ड माईन (प्रो.– श्री पुरूषोत्तम यादव), ग्राम–उदईबंद, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2409)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428462/2023, दिनांक 08/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम ग्राम–उदईबंद, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 156, कुल क्षेत्रफल–4.09 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता–1,16,565 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पुरूषोत्तम यादव, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अमलडीहा का दिनांक 22/02/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित / सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – रिवर बेड सेण्ड माईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 206 / खनि / रेत / उत्खनन प्लान / 2023 बिलासपुर, दिनांक 20 / 04 / 2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 212 / खनि / रेत / प्रमाण पत्र / 2023 बिलासपुर, दिनांक 21 / 04 / 2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 212 / खनि / रेत / प्रमाण पत्र / 2023 बिलासपुर, दिनांक 21 / 04 / 2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री पुरुषोत्तम यादव के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3299 / खनि / रेत नीलामी / 2023 बिलासपुर, दिनांक 14 / 03 / 2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है। जारी एल.ओ.आई. में "रेत खदान उत्खनन पट्टा अवधि 2 वर्ष की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है।" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–उदईबंद 350 मीटर, स्कूल ग्राम–उदईबंद 400 मीटर एवं अस्पताल कसडोल 10.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9.9 कि.मी. दूर है। नाला 2.5 कि.मी., नहर 1 कि.मी. एवं तालाब 420 मीटर दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल / एनीकट स्थित नहीं है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 590 मीटर, न्यूनतम 580 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 240 मीटर, न्यूनतम 239 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 171 मीटर, न्यूनतम 169 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 90 मीटर, न्यूनतम 85 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा 1,16,565 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई

जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.17 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 28/03/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष **विस्तार** से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37.61	2%	0.75	Following activities at Nearby, **Village-Mukundpur, Gram Panchayat Basantpur**	
			Plantation with fencing around Village Pond & 5 Year AMC	0.90
			Total	**0.90**

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर कुल 30 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 66,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–मुकुंदपुर, ग्राम पंचायत बसंतपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (ग्राम–मुकुंदपुर के खसरा क्रमांक 56 में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट में 600 नग एवं पहुंच मार्ग में 200 नग (कुल 800 नग) वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है–

विवरण	प्रथम वर्ष (रूपये)	द्वितीय वर्ष (रूपये)	तृतीय वर्ष (रूपये)	चतुर्थ वर्ष (रूपये)	पंचम वर्ष (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से	50,000	50,000	–	–	–

उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव						
नदी तट एवं पहुंच मार्ग में (800 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	80,000	–	–	–	–
	फेंसिंग हेतु राशि	1,20,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 12,50,000		4,40,000	2,40,000	1,90,000	1,90,000	1,90,000

16. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

22. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिवर्ज ही उत्खनन किया जाएगा एवं खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

25. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

26. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे लगाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

27. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावे। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। शिवनाथ नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. आवेदित खदान (ग्राम–उदईबंद) का रकबा 4.09 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन एवं वन क्षेत्र से निर्धारित दूरी से अधिक होने पर ही पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स उदईबंद सेण्ड माईन (प्रो. – श्री पुरूषोत्तम यादव), खसरा क्रमांक – 156, ग्राम–उदईबंद, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.09 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 61,300 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों / यंत्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स बालूद सेण्ड क्वारी (डी–1) (सचिव / सरपंच, ग्राम पंचायत बालूद), ग्राम–बालूद, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2410)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 428660 / 2023, दिनांक 09 / 05 / 2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बालूद, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 31, कुल क्षेत्रफल–3.84 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन डंकनी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता–38,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु सरपंच श्री सन्तुराम कश्यप एवं सचिव श्री बसंत कुमार नायक, ग्राम पंचायत बालूद से उपस्थित हुए। समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बालूद का दिनांक 23/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनिज) जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 829/खनिज/उत्ख.यो.अनु/रेत/2022–23 उ.ब.कांकेर, दिनांक 24/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 117/क्ले./खनिज/रे.ख./2023 दंतेवाड़ा, दिनांक 03/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 116/क्ले./खनिज/रे.ख./2023 दंतेवाड़ा, दिनांक 03/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत बालूद के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1037/क्ले./खनिज/रे.ख./2023 दंतेवाड़ा, दिनांक 28/03/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एल.ओ.आई. में "रेत हेतु उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है।" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा में दिनांक 15/05/2023 को पत्राचार किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बालुद 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–बालुद 2.1 कि.मी. एवं अस्पताल दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 27 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.7 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 173 मीटर, न्यूनतम 121 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 431 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 124 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 13 मीटर है।

समिति द्वारा पाया गया कि जिस खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 173 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 18 मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 121 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 13 मीटर है। अतः गैर माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा 38,400 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 24/04/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
14	2%	0.28	Following activities at Nearby, Deogudi, **Village- Balood**	
			Plantation with	3.99

			tree guard in Deogudi & 5 years AMC	
			Total	**3.99**

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–बालूद स्थित देवगुड़ी में (नीम, आम, पीपल, कदंब, जामुन, बरगद, अमलतास, करंज, आंवला, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 71 नग पौधों के लिए राशि 5,396 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 21,300 रूपये, खाद के लिए राशि 540 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 82,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,09,236 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,90,488 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालूद के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 654, रकबा 30 डिसमिल) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट पर (नीम, आम, पीपल, कदंब, जामुन, बरगद, अमलतास, करंज, आंवला, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 217 नग पौधों के लिए राशि 16,492 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 65,100 रूपये, खाद के लिए राशि 1,620 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 82,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,65,212 रूपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 2,95,408 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

17. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

18. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावें।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। डंकनी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–बालूद) का रकबा 3.84 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत्

सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसकी प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स बालूद सेण्ड क्वारी (डी–1), (सरपंच, ग्राम पंचायत–बालूद (श्री सन्तुराम कश्यप)), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 31, ग्राम–बालूद, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा, कुल लीज क्षेत्रफल 3.84 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 23,040 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों/यंत्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स गणपति इण्डस्ट्रियल प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2411)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/428639/ 2023, दिनांक 09/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला औद्योगिक क्षेत्र, प्लॉट नं. 65 एवं 66, ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 175/1, 175/2, 175/3, 175/4 एवं 180/1, कुल क्षेत्रफल–1.29 हेक्टेयर में रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 3 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता में त्रुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. **मेसर्स अरोरा छत्तीसगढ़ एनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–हरदीकला, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2363)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/424794/ 2023, दिनांक 04/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/04/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 09/05/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–हरदीकला, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, जिला–बिलासपुर, कुल क्षेत्रफल–5.13

हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (2 गुणा 7 टन) क्षमता – 35,770 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर (2x7 टन + 1x8 टन) क्षमता 59,900 टन प्रतिवर्ष एवं हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल क्षमता–32,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष तथा कोल गैसीफायर–2,000 सामान्य घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में परियोजना का विनियोग 4.50 करोड़ है तथा क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना का विनियोग 5.50 करोड़ है। इस प्रकार परियोजना का कुल विनियोग रुपए 10 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जयंत ऐरन, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर से स्टील इंगॉट्स (2 नग इण्डक्शन फर्नेस क्षमता 7 टन) 35,770 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु एवं एम.एस. रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–32,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 22/10/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 30/04/2025 तक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम कोरमी 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन बिलासपुर 4.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। चकरभाटा विमानपत्तन, बिलासपुर 14 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। अरपा नदी 11.6 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लीज का विवरण** – छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 14/03/2006 के द्वारा प्लॉट नं. 22, क्षेत्रफल 12.68 एकड़ (5.13 हेक्टेयर) हेतु भूमि को लीज मेसर्स अरोरा (छत्तीसगढ़) इनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–हरदीकला, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, जिला–बिलासपुर के नाम पर जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 13/03/2104 तक है।

4. छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 11-23/2012/11/(6) दिनांक 16/04/2012 के द्वारा जिला-बिलासपुर, ग्राम सिल्यहरी एवं अन्य तीन ग्राम स्थित 805.95 एकड़ भूमि को सिल्यहरी औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Construction area	9,805	19
2.	Open & Road area	24,962.15	48
3.	Green belt area	17,205	33
	Total	**51,972.15**	**100**

समिति का मत है कि अद्यतन एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में लेण्ड एरिया स्टेटमेंट (क्षेत्रफल एवं प्रतिशत) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. रॉ-मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For M.S Billets/ Ingots				
1.	Sponge Iron	49,000	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scraps	12,400	Open Market	By Road (through covered trucks)
3.	Ferro Alloys	600	Open Market	By Road (through covered trucks)
For Rolling Mill				
1.	Billets	59,900	Own Induction Furnace	-

7. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Name	Existing Installed Capacity	Total Capacity After Expansion
1.	Induction Furnace	35,700 TPA	59,900 TPA
2.	Hot Charged Rolling Mill	32,000 TPA	59,900 TPA

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा त्रुटिवश ऑनलाईन आवेदन में 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष कोल गैसीफायर का उल्लेख हो गया है। जिसका स्थापना प्रस्तावित उद्योग में नहीं किया जाएगा। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित उद्योग में कौन-कौन से प्लांट एवं मशीनरी स्थापित है तथा स्थापित उद्योग में वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण एवं अन्य के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जानकारी एवं दस्तावेज (फोटोग्राफ सहित) जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित परियोजना हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 35 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30

मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी।

10. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – परियोजना हेतु इण्डक्शन फर्नेस से स्लैग 1,100 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। रोलिंग मिल से मिल स्केल 500 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग 600 टन प्रतिवर्ष एवं युज्ड ऑयल 1 टन प्रतिवर्ष ठोस के रूप में उत्पन्न होगी। मिल स्केल को पुनःउपयोग किया जाएगा। समिति का मत है कि वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट एवं उसके अपवहन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 19 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 11 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना अंतर्गत औद्योगिक प्रक्रिया हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी के माध्यम से की जाएगी। समिति का मत है कि वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में जल खपत एवं स्त्रोत की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही संबंधित शाखा से अनुमति पत्र प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, सी–सीवेज कलेक्शन टैंक, एमबीबीआर टैंक, स्लज पम्पस, फिल्टर प्रेस, इंटरमेडियेट टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

12. **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

- (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

13. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत परिसर के पूर्ण रनऑफ अनुसार विस्तृत गणना कर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 7 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.वी.ए. के 2 नग डी.जी. सेट का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

15. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.71 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 4,250 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका का क्षेत्रफल 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है एवं वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किये जाने एवं वर्तमान में स्थापित उद्योग में कौन–कौन से प्लांट एवं मशीनरी स्थापित है तथा स्थापित उद्योग में वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण एवं अन्य के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जानकारी एवं दस्तावेज (फोटोग्राफ सहित) मंगाये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।

2. अद्यतन एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में लेण्ड एरिया स्टेटमेंट (क्षेत्रफल एवं प्रतिशत) प्रस्तुत किया जाए।

3. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट एवं उसके अपवहन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में जल खपत एवं स्त्रोत की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाए। साथ ही संबंधित शाखा से अनुमति पत्र प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

5. वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु की गई व्यवस्था के संबंध जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

6. वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत परिसर के पूर्ण रनऑफ अनुसार विस्तृत गणना कर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

7. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

8. परियोजना के कुल क्षेत्रफल का 45 प्रतिशत क्षेत्र में हरित पट्टिका विकास हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नही है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नही है।

11. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स सेन्ट्रल सीमेंट इण्डस्ट्रीज (पार्टनर– श्री ऋषि अग्रवाल), ग्राम–सरोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2412)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 428756/ 2023, दिनांक 10/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–सरोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 807/4 एवं 811, कुल क्षेत्रफल–0.224 हेक्टेयर, क्षमता विस्तार के तहत् स्टेंड अलोन सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता – 150 टन प्रतिदिन से 1,000 टन प्रतिदिन है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विनियोग की कुल लागत 5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धर्मेन्द्र राय, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना हेतु कुल क्षेत्रफल 3.095 हेक्टेयर के स्थान पर त्रुटिवश 0.224 हेक्टेयर का उल्लेख करते हुए ऑनलाईन आवेदन किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त त्रुटि होने के कारण दिनांक 27/06/2023 को पत्र के माध्यम से आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने के कारण से आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स उजियारपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय), ग्राम–उजियारपुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2413)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428535/ 2023, दिनांक 10/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–उजियारपुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर स्थित खसरा क्रमांक 865, 866, 867, 876/1, 876/2, 876/3 एवं 876/4, कुल क्षेत्रफल– 1.73 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–40,099.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड (आरीडोंगरी आयरन ओर माईन), ग्राम–कच्चे एवं पर्रेकोदो, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2210)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 408229/2022, दिनांक 28/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ग्राम–कच्चे एवं परैकोड़ो, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर में Expansion proposal for Aridongari iron ore mines for enhancement of iron ore production capacity from existing 2.35 Mtpa to 6 MTPA with total excavation quantity of 21.34 MTPA, setting up by way of putting up of a new and enhancement / modification / replacement of existing iron ore crushing and screening plant from 2.35 MTPA to 6 MTPA of iron ore crushing, screening, grinding and benefication plant of 6 MTPA capacity, setting up of additional Dolerite / Grunerite Aggregate crushing and screening plant from 2 MTPA with increase in mine lease area from 138.96 Ha to 215.96 Ha (Total mining lease area as per block allotment is 138.96 Ha + 77 Ha additional land outside mine lease area for scientific disposal / dumping of overburden waste) के लिए टी.ओ. आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग का कुल लागत 27.891 लाख होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 23 / 12 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29 / 12 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गंगा राम वर्मा, वाइस प्रेसिडेंट माईनिंग, श्री संजय श्रीवास्तव, असिसटेंट वाइस प्रेसिडेंट इन्फ्रायरोमेंट एवं पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में मैसर्स वरदान इन्फ्रायरोनेट, गुरूग्राम की ओर से श्री अंकुर अग्रवाल उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–106.6 हेक्टेयर, क्षमता–7,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25 / 06 / 2007 को जारी की गई।

   ii. आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–106.6 हेक्टेयर से बढ़ाकर 138.96 हेक्टेयर क्षमता–7,05,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 14,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12 / 12 / 2014 को जारी की गई। तत्पश्चात् आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–106.6 हेक्टेयर से बढ़ाकर 138.96 हेक्टेयर क्षमता–7,05,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 14,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26 / 05 / 2016 को जारी की गई।

   iii. आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–138.96 हेक्टेयर क्षमता–14,05,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 23,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23 / 06 / 2021 को जारी की गई।

   iv. परियोजना प्रस्तावक को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय

स्वीकृति पत्र दिनांक 23/06/2021 का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 782/खनिज/ख.प./2022 कांकेर, दिनांक 02/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2013–14	3,25,797.61
2014–15	4,04,271.35
2015–16 (अप्रैल से अगस्त 2015 तक)	1,22,941.68
सितम्बर 2015–16	2,97,128.17
2016–17	9,85,179.41
2017–18	12,07,017.62
2018–19	11,82,025.24
2019–20	13,47,258.84
2020–21	13,99,971.09
2021–22	21,04,823.91
2022–23 (सितम्बर 2022 तक)	11,69,436.99

2. **जल एवं वायु सम्मति** –

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयरन ओर क्षमता–2.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष, आयरन ओर क्रशर विथ स्क्रीनिंग फेसिलिटी क्षमता–400 टन प्रतिघंटा, आयरन ओर स्क्रीनिंग प्लांट विथ मेगनेटिक सेपरेटर क्षमता–250 टन प्रतिघंटा एवं डोलेराईट क्रशिंग एण्ड स्क्रीनिंग प्लांट क्षमता–2 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 07/07/2022 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 15/08/2024 तक वैध है।

- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत परैकोड़ो का दिनांक 07/10/2022 एवं ग्राम पंचायत कच्चे का दिनांक 27/10/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – रिव्यूड ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के ज्ञापन क्रमांक/कांकेर/लौह/खयो–1227/2019 रायपुर, दिनांक 09/01/2020 द्वारा अनुमोदित है। प्रस्तुत माईनिंग प्लान कुल क्षेत्रफल 138.96 हेक्टेयर, आयरन ओर माईन क्षमता 23,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु अनुमोदित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माईनिंग प्लान अनुमोदन हेतु ड्राफ्ट माईनिंग प्लान भारतीय खान ब्यूरो में प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि प्रस्तावित क्षेत्रफल 215.96 हेक्टेयर, आयरन ओर माईन क्षमता 60,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा जारी आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **लीज संबंधी विवरण** – लीज डीड मैसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड के नाम पर है, जो निम्नानुसार है:–

Details	Lease Area	Date of Deed Execution	Period	Valid Up to
Lease Deed Execution for Kachche (Aridongri) Iron Ore Lease 32.36 Ha	32.36 Ha	12.05.2015	50 years from 12.05.2015	11.05.2065
Lease Deed Execution for Kachche (Aridongri) Iron Ore Lease 106.60 Ha	106.60 Ha	30.09.2008	20 years from 30.09.2008	30.09.2028
Amendment in Lase Deed for Kachche (Aridongri) Iron Ore Lease 106.60 Ha for extension of validity period as per Mines and Minerals (Development and Regulation) (Amendment) Ordinance, 2015	106.60 Ha	03.09.2015	50 years from 30.09.2008	29.09.2058
Amalgamation of Kachche (Aridongri) Iron Ore Lease 32.36 Ha and 106.60 Ha	138.96 Ha	03.09.2015	50 years from 30.09.2008	29.09.2058

7. **भू–स्वामित्व** – उत्खनन हेतु कुल क्षेत्रफल 138.96 हेक्टेयर है, जिसमें से 127.4 हेक्टेयर वन भूमि एवं शेष 11.56 हेक्टेयर राजस्व भूमि है। साथ ही लीज क्षेत्र के बाहर 77 हेक्टेयर (63.79 हेक्टेयर शासकीय भूमि एवं शेष 13.21 हेक्टेयर निजी भूमि) भूमि में ओव्हर बर्डन को भण्डारित/अपवहन किया जाना बताया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि शासकीय भूमि 63.79 हेक्टेयर में से 2.65 हेक्टेयर का आबंटन प्राप्त किया गया है, जिसमें शर्तों अनुरूप पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है। अतः शेष 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आबंटन पत्र प्रस्तुत किये जाने बाबत् परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाना आवश्यक है। भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 04/08/2008 द्वारा जारी पत्र अनुसार 106.6 हेक्टेयर वन क्षेत्र को आरीडोंगरी आयरन ओर माईन के नाम पर शर्तों के अधीन डायवर्सन किया गया है। साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 19/02/2015 द्वारा जारी पत्र अनुसार 32.36 हेक्टेयर वन क्षेत्र को फारेस्ट कम्पार्टमेंट नम्बर आरएफ 139(808) ग्राम–कच्चे जिला–बस्तर में आयरन ओर माईन के लिए शर्तों के अधीन डायवर्सन किया गया है। समिति का मत है कि दिये गये शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम शहर दल्ली राजहरा 26 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन गुढुम 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद

विमानपत्तन, माना, रायपुर 157 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. लीज क्षेत्र के बफर जोन के अंतर्गत आरक्षित वन पियाकेंटटा, राजोबिडिह, उनोचापानी, मगर्धा जबकसा, नाघुर एवं संरक्षित वन कान्दे, लिमोडीह, मारडेल, रनवाही है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3.768 हेक्टेयर है। वर्तमान में ओपन कास्ट फुल्ली मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 6 से 8 मीटर एवं चौड़ाई 6 से 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 501 घनमीटर प्रतिदिन (आयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट के लिए 417 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन के लिए 30 घनमीटर प्रतिदिन, ईक्यूपमेंट वाशिंग के लिए 8 घनमीटर प्रतिदिन, ड्रिंकिंग एवं सेनिटेशन के लिए 46 घनमीटर प्रतिदिन) होगी, जिसमें से 300 घनमीटर प्रतिदिन को भू–जल से उपयोग किया जाएगा एवं शेष 201 घनमीटर प्रतिदिन को माईन सम्प से जल की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल की उपयोगिता हेतु 300 घनमीटर प्रतिदिन के लिए सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **मिनरल प्रोसेसिंग एवं बेनीफिकेशन** – वर्तमान में 3 स्टेज क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग क्षमता 2.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष स्थापित है। 250 टन प्रतिघंटा क्षमता का स्क्रीनिंग के साथ ड्राई मेग्नेटिक सेपरेटर तथा 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का डोलोमाईट क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 1000 टन प्रतिघंटा क्षमता का क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग इकाई के प्रायमरी जॉ, सेकेन्ड्री एवं टरश्यरी कोन क्रशर एवं स्क्रीन्स में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में सम्मति प्राप्त लो–ग्रेड आयरन ओर बेनीफिकेशन प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर होना बताया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में तीन पंक्तियों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/01/2022 के मध्य किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी समस्त पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में तीन पंक्तियों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. शासकीय राजस्व भूमि एवं निजी भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उत्खनन/भण्डारण हेतु भू-स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए (यदि आवश्यक हो)।
4. शासकीय भूमि 63.79 हेक्टेयर में से 2.65 हेक्टेयर का आबंटन प्राप्त किया गया है, जिसमें शर्त अनुरूप पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है। अतः शेष 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आबंटन पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान उत्पादन क्षमता के स्थिती में ले-आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. क्षमता विस्तार उपरांत ले-आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् किये गए सी.ई.आर. कार्यों का व्यय एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 04/08/2008 एवं 19/02/2015 द्वारा जारी आयरन ओर माईनिंग के लिए दिये गये वन भूमि का डायवर्सन के शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 09/02/2023 द्वारा पूर्व में जारी समस्त पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार निम्नानुसार शर्तों का आंशिक एवं अपूर्ण पालन होना बताया गया है:–

   i. सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना किया जाना बताया गया है, किन्तु सी.पी.सी.बी. एवं सी.ई.सी.बी. के सर्वर से कनेक्ट (Connect) नहीं किया गया है।

   ii. बैग फिल्टर एवं वैक्यूम सक्शन हूड की स्थापना नहीं किया गया है, वॉटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था की गई है। स्थापित कन्वेयर बेल्ट पूर्ण रूप से ढके हुए नहीं है।

   iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर छःमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

   iv. अनुमोदित वन्य प्राणी संरक्षण योजना की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

   समिति का मत है कि उक्त अपूर्ण शर्तों के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

2. स्वीकृत लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में नियमानुसार वृक्षारोपण किया गया है। वर्ष 2009–10 से 2022–2023 तक कुल 1,25,635 पौधा रोपण किया गया है। पौधों का जीवन दर (Survival Rate) 90 प्रतिशत है। इसका विवरण तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिवेदन सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   बिगड़े वन क्षेत्र 5.014 कि.मी. (सेफ्टी जोन का डेढ़ गुणा) क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु परियोजना की लागत राशि रूपये 15,04,200/– छत्तीसगढ़ कैम्पा मद में जमा किया गया है।

   उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना विस्तार अन्तर्गत सेफ्टी जोन 7.5 मीटर की पट्टी में तीन पंक्तियों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु घटकवार व्यय सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार

Description		Within 7.5 m wide safety zone				
		2023–24	2024–25	2025–26	2026–27	2027–28
		Gap Filling in safety Zone of existing mining lease Area	Safety zone of additional 77 ha Lease area & Gap Filling in existing safety Zone Area	Gap Filling in Total Safety Zone area	Gap Filling in Total Safety Zone area	Gap Filling in Total Safety Zone area
15,000 Sampling Proposed to be planted	Plantation Amount (With 90% Survival Rate)	95,012	11,67,012	7,31,012	3,88,012	2,45,012
	Fencing Amount	8,46,036	8,96,287.92	1,20,948	1,20,948	1,20,948

	Amount of Cow dung & manure	8,793.38	1,01,033.38	63,728.38	35,413.38	24,72[illegible]38
	Amount of Watering, Caring & Mainte - nance	6,14,852	6,87,012	5,60,402	5,39,402	5,30,402
Total Amount = 78,96,994.9		**15,64,693.38**	**28,51,345.3**	**14,76,090.38**	**10,83,775.38**	**9,21,090.38**

3. शासकीय राजस्व भूमि के आबंटन संबंधी दस्तावेज एवं निजी भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कार्यालय कलेक्टर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के आदेश क्रमांक/113/कले./रीडर/2021 कांकेर, दिनांक 22/05/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

   प्रस्तावित परियोजना हेतु अर्जन की जा रही अतिरिक्त भूमि पर आयरन ओर उत्खनन से प्राप्त ओव्हर बर्डन एवं रिजेक्ट्स को वैज्ञानिक पद्धति से डम्प किया जाना प्रस्तावित है तथा उक्त भूमि पर उत्खनन नहीं किया जाएगा।

4. शासकीय भूमि 63.79 हेक्टेयर में से 2.65 हेक्टेयर का आबंटन प्राप्त किया गया है, जिसमें शर्त अनुरूप पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है। अतः शेष 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आबंटन पत्र कार्यालय कलेक्टर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर में प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1585/अ.वि.अ./रीडर–2/2022 भानुप्रतापपुर, दिनांक 22/11/2022 द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर को रिजेक्ट /वेस्ट मटेरियल डम्प करने हेतु शासकीय भूमि आबंटित करने बाबत् प्रेषित पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि आयरन ओर उत्खनन के दौरान प्राप्त ओव्हर बर्डन/ रिजेक्ट्स के वैज्ञानिक पद्धति से डम्प करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त भूमि को समाहित करते हुये (कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 215.96 हेक्टेयर आयरन ओर माईन क्षमता 60 लाख टन प्रतिवर्ष हेतु) समामेलन माईनिंग प्लान (**amalgamated mining plan**), भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही राज्य शासन से समामेलन लीज डीड/एल.ओ.आई. (**amalgamated lease deed / letter of intent**) प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. वर्तमान उत्पादन क्षमता की स्थिति में ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है।

6. क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् किये गए सी.ई.आर. कार्यों का पूर्ण पालन किये जाने बाबत् प्रतिवेदन/जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

8. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल, भानुप्रतापपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/1317 भानुप्रतापपुर, दिनांक 23/02/2023 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृत उत्खनन प्रकरणों के अंतिम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त पालन प्रतिवेदन में उल्लेखित अपूर्ण/आंशिक अपूर्ण शर्तों के पालन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रक्रियाधीन शेष 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आबंटन पत्र सक्षम अधिकारी/राज्य शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् किये गए सी.ई.आर. कार्यों का व्यय एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित क्षेत्रफल 215.96 हेक्टेयर, आयरन ओर माईन क्षमता 60,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु समामेलन माईनिंग प्लान (amalgamated mining plan), भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही समामेलन लीज डीड/एल.ओ.आई. (amalgamated lease deed / letter of intent) राज्य शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/05/2023 एवं 26/06/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त पालन प्रतिवेदन में उल्लेखित अपूर्ण/आंशिक अपूर्ण शर्तों के पालन के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार:-
   i. सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना किया जाना बताया गया है, किन्तु सी.पी.सी.बी. एवं सी.ई.सी.बी के सर्वर से कनेक्ट (Connect) किया गया है।
   ii. स्थापित कन्वेयर बेल्ट पूर्ण रूप से केनोपी (canopy) द्वारा ढका जाएगा, जिससे फ्यूजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रित रहेगा। अतः बैग फिल्टर एवं वैक्यूम सक्शन हूड की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।
   iii. माईनिंग लीज एरिया के अंतर्गत कोई भी चारागाह क्षेत्र शामिल नहीं है।
   iv. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं हेतु टाईम बॉण्ड एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया है।
   v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर छःमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
   vi. अनुमोदित वन्य प्राणी संरक्षण योजना हेतु 130 लाख रूपये राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ कैम्पा में जमा की गई है, जिसके चालान की प्रति प्रस्तुत की गई है।
   vii. क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग संयंत्र में बैग फिल्टर उपलब्ध कराया गया है। जबकि डीएफडीएस सिस्टम डस्ट कलेक्टर/बैग फिल्टर की तुलना में अत्यधिक प्रभावी है। सभी डस्ट जनरेटिंग प्वॉईन्ट्स पर डस्ट उत्सर्जन को नियंत्रित

करने के लिए जल स्प्रे व्यवस्था स्थापित की गई है एवं फीड हॉपर, फीड तथा डिस्चार्ज कन्वेयर, ट्रांसफर पॉइंट आदि पर डीएफडीएस सिस्टम प्रदान की गई है।

2. छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (यथा संशोधित) की धारा 247(2) के प्रावधानों के अनुसार शासकीय राजस्व भूमि के आबंटन हेतु आवेदन कार्यालय कलेक्टर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर में प्रक्रियाधीन है। अतः आबंटन पत्र की प्रति ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् किये गए सी.ई.आर. कार्यों का व्यय एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. प्रस्तावित क्षेत्रफल 215.96 हेक्टेयर, आयरन ओर माईन क्षमता 60,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु समामेलन माईनिंग प्लान (amalgamated mining plan), भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माईनिंग प्लान प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त क्षमता एवं क्षेत्रफल हेतु भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति तथा समामेलन लीज डीड/एल.ओ.आई. (amalgamated lease deed / letter of intent) राज्य शासन से प्राप्त कर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–कच्चे एवं पर्रेकोडो) का रकबा 215.96 हेक्टेयर है। अतः यह खदान बी–1 श्रेणी की है।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) एवं 2(बी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स एवं मिनरल बेनीफिशिऐशन हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के **साथ प्रक्रियाधीन शेष 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आबंटन पत्र सक्षम अधिकारी/राज्य शासन से प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन** जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit closure report of partially / non complied conditions of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

ii. Project proponent shall submit amalgamated Mining Plan duly approved by IBM for a production capacity of 60,00,000 TPA (Total project land 215.95 ha. including proposed additional area 77 ha.) will be submitted alongwith EIA/EMP Report.

iii. Project proponent shall submit the copy of LOI from State Government / amalgamated lease deed incorporating the additional project land 77 ha. for scientific dump of OB/waste material being obtained during the excavation of mineral iron ore with existing mining lease hold area 138.96 ha.

iv. Project proponent shall submit the revised project cost of the amalgamated project.

v. Project proponent shall submit an affidavit that the trees falling in 7.5 meter width of additional land 77 ha. will not be cut.

vi. Project proponent shall submit the details of the trees stahding in additional land 77 ha. and details of the trees standing in 7.5 meter width.

vii. Project proponent shall submit an affidavit that the trees standing in 77 ha. area shall not be cut without the permission of competent authority (State Government).

viii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

ix. Project proponent shall submit the detail proposals of garland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.

x. Project proponent shall submit certified compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

xi. Project proponent shall submit performance report of Baseline Data Generation for preparation of EIA Study Report.

xii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

xiii. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year 2021-22.

xiv. Project proponent shall submit the Environment Management Plan in detail in accordance to MoEF & CC guidelines and EIA Manual.

xv. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.

xvi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

xvii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

xviii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xix. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xx. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xxi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xxii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xxiii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery of mining lease area (215.95 Ha) & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost,

maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xxiv. Project proponent shall submit the slop stability of dumping.

xxv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree species) within the mining lease area (215.95 ha.) as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of plants of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xxvi. Project proponent shall submit CER proposals preferably for creation of ECO park with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स छिन्दगांव लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री ओंकार सिंह), ग्राम–छिन्दगांव, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1882)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए / सीजी / एमआईएन / 246493 / 2021, दिनांक 23 / 12 / 2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन क्रमशः दिनांक 01 / 01 / 2022 एवं दिनांक 27 / 06 / 2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी क्रमशः दिनांक 17 / 06 / 2022 एवं दिनांक 08 / 08 / 2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–छिन्दगांव, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1043 / 1, 1043 / 2, 1043 / 4, 1043 / 5, 1044 / 2 एवं 1044 / 4, कुल क्षेत्रफल–2.142 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–62,500 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28 / 11 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ओंकार सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत छिंदगांव–2 का दिनांक 03 / 06 / 2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा नोट किया गया कि प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में खसरा क्रमांक 1043 / 2, 1043 / 4, 1043 / 5 का उल्लेख है। अतः आवेदित प्रकरण में उल्लेखित समस्त खसरों का उल्लेख करते हुये ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. आवेदित समस्त खसरों का उल्लेख करते हुये ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ स्किम ऑफ माईनिंग फॉर फर्स्ट फाईव ईयर एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाडा के ज्ञापन क्रमांक 627 / खनिज / उत्ख.यो. / 2021–22 दन्तेवाड़ा, दिनांक 25 / 10 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2706 / खनिज / ख.लि. 4 / 13 / 2020–21 / उ.प. / 2021 जगदलपुर, दिनांक 02 / 12 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2708 / खनिज / ख. लि.4 / 13 / 2020–21 / उ.प. / 2021 जगदलपुर, दिनांक 02 / 12 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, नदी, नाला, एनीकट, तालाब, रेल लाईन एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री ओंकार सिंह के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1343 / खनिज / ख.लि.4 / 06 / 2020–21 / उ.प. / 2021 जगदलपुर, दिनांक 09 / 06 / 2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 3496 / खनि 02 / उ.प. –अनु.निष्पा. / न.क्र.50 / 2017(3) नवा रायपुर, दिनांक 22 / 06 / 2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 07 / 06 / 2023) की अवधि हेतु वैध है।

8. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1043 / 5, श्री ओंकार सिंह, सीमा बेगम, श्री बांधवेश एवं शेष भूमि आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु वनमण्डलाधिकारी, बस्तर में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10 / 12 / 2021 को पत्र लेख किया गया है। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल जगदलपुर, जिला–बस्तर को दिनांक 01 / 08 / 2022 में पत्र लेख किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–छिन्दगांव 250 मीटर, स्कूल ग्राम–बकावंड 8.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बकावंड 8.5 कि.मी. की दूरी

पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 19 कि.मी. दूर है। नाला 77 मीटर दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पौल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,28,400 टन, माईनेबल रिजर्व 3,05,139 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,913 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 18,468 घनमीटर (स्वेल फैक्टर सहित) है, जिसमें से 5,900 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए एवं शेष ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 993/2, रकबा 0.63 हेक्टेयर) में संरक्षित कर भण्डारित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11.5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,500
द्वितीय	12,500
तृतीय	25,000
चतुर्थ	25,000
पंचम	62,500

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 655 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 49,780 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,83,600 रूपये, खाद के लिए राशि 11,250 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,76,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 5,20,630 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 8,86,092 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन नहीं किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
44	2%	0.88	Following activities at	
			Pavitra Van nirmam	14.73
			Total	**14.73**

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,800 नग पौधों के लिए राशि 1,36,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,33,000 रूपये, खाद के लिए राशि 13,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 2,66,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,49,300 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 9,24,120 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई. आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत छिन्दगांव 2 के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1008, क्षेत्रफल 5 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

19. ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत शेष ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 993/2, रकबा 0.63 हेक्टेयर) में संरक्षित कर भण्डारित किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

26. समिति का मत है कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र एवं नाले के बीच वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. आवेदित प्रकरण में उल्लेखित समस्त खसरों का उल्लेख करते हुये ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. आवेदित प्रकरण में उल्लेखित समस्त खसरों का उल्लेख करते हुये ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./1000 जगदलपुर, दिनांक 06/03/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार "आवेदित क्षेत्र में प्रजाति आम–2 नग, कटहल–1 नग एवं तेन्दू–1 नग वृक्ष स्थित है। आवेदित भूमि संरक्षित वनक्षेत्र की दूरी 0.729 कि.मी. है।" उल्लेख है।
3. जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 22/06/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 07/06/2023) की अवधि हेतु वैध थी। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित प्रकरण में उल्लेखित समस्त खसरों का उल्लेख करते हुये ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्रस्तुत किया जाए।
3. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स तरेगांव मैदान लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री बिसनाथ वर्मा), ग्राम–तरेगांव मैदान, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2278)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 414945/ 2023, दिनांक 18/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–तरेगांव मैदान, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 215, कुल क्षेत्रफल–1.82 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–5,967.7 टन प्रतिवर्ष है।

वर्तमान में माननीय एनजीटी, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. क्रमांक 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2022 द्वारा आदेशित किया गया है कि "mining lease in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15/01/2016 are still continuing even after passing of order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) and issuance of OM dated 12/12/2018 by MoEF&CC without any re-appraisal by SEIAA and appropriate remedial action on the basis of such re-appraisal. All such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal granted environmental clearance by SEIAA. MoEF&CC is, therefore, directed to take appropriate steps for compliance in this regard by issuance of requisite directions in exercise of the statutory powers under the Environment (Protection) Act, 1986".

उपरोक्त के पालनार्थ भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 अनुसार "The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बिसनाथ वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 215, कुल क्षेत्रफल–1.82 हेक्टेयर, क्षमता–5,967.71 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कबीरधाम द्वारा दिनांक 21/03/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति लीज जारी दिनांक 01/06/2018 से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 31/05/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 31/05/2024 तक वैध होगी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 370 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 983/ख.लि./खनिज/उ.प./2022 कबीरधाम, दिनांक 12/08/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 03/06/2018 से 31/03/2019 तक	20
2019–20	400
2020–21	20
2021–22	निरंक
दिनांक 01/04/2022 से 04/08/2022 तक	निरंक

समिति का मत है कि दिनांक 04/08/2022 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत तरेगांव मैदान का दिनांक 26/02/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन

क्रमांक 1286/खनि.ले./उ.यो./2017 बेमेतरा, दिनांक 15/12/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 982/ख.ले./खनिज/उ.प./2022 कबीरधाम, दिनांक 12/08/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 981/ख.ले./खनिज/उ.प./2022 कबीरधाम, दिनांक 12/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री विसनाथ वर्मा के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/06/2018 से 31/05/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./10829 कवर्धा, दिनांक 15/11/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. एवं वन अभ्यारण्य से 15 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नैवरगांव 550 मीटर व ग्राम तरेगांव मैदान 620 मीटर, स्कूल ग्राम–तरेगांव मैदान 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल बोडला 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.9 कि.मी. दूर है। कौंक नदी 690 मीटर, मौसमी नाला 3.25 कि.मी., तालाब 600 मीटर एवं नहर 50 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,69,805 टन, माईनेबल रिजर्व 2,81,822 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,97,275 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 4,69,705 टन, माईनेबल रिजर्व 2,80,722 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,96,175 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,387.27 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर एवं पहाड़ी क्षेत्र की ऊँचाई 11 मीटर है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 34 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण

हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,739.1	षष्टम	5,840.6
द्वितीय	5,840.6	सप्तम	5,840.6
तृतीय	5,840.6	अष्टम	5,840.6
चतुर्थ	5,840.6	नवम	5,938.0
पंचम	5,840.5	दशम	5,967.7

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि वर्तमान में क्रशर लीज क्षेत्र के बाहर एवं 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के मध्य स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। क्रशर को लीज क्षेत्र में स्थानांतरित कर पुनः स्थापित किया जाएगा, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि क्रशर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित क्वारी प्लान स्थानांतरित कर पुनः स्थापित किया जाएगा। समिति का मत है कि क्रशर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित क्वारी प्लान स्थानांतरित कर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण कर, पौधों में नम्बरिंग कर के.एम.एल. फाईल सहित फोटोग्राफस प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 810 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 370 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 440 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 4,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 70,000 रूपये, खाद के लिए राशि 40,500 रूपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,50,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,64,900 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 7,62,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 1,000 वर्गमीटर क्षेत्र में क्रशर, 428.98 वर्गमीटर क्षेत्र में स्टोन स्टोरेज, 100 वर्गमीटर क्षेत्र में रैम्प निर्माण एवं 1006.68 वर्गमीटर क्षेत्र को अन्य कार्य हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh	Percentage of Capital Investment	Amount for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)

Rupees)	to be Spent	(in Lakh Rupees)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39.34	2%	0.78	Following activities at, Govt Primary School **Village- Taregaon Maidan**	
			Installation of separate water tank for drinking	0.26
			Installation of UV water filter and its AMC	0.28
			Pipeline sanitary ware and installation	0.16
			Donation of books related to Environment Conservation	0.10
			Total	**0.80**

18. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. क्रशर को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी से स्थांतरित कर लीज क्षेत्र के अंदर अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार नियत स्थान पर स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊंचाई तक भंडारित कर संरक्षित रखने हेतु, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने तथा भण्डारित शेष ऊपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र में फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के समस्त बिन्दुओं/स्थानों पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमित जल छिड़काव कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र में खनिज नियमों के अनुरूप सीमांकन कराकर खदान की सीमा में नियमानुसार स्तंभ स्थापित कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. माईनिंग लीज क्षेत्र से किसी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्सर्जन होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, नदी, नाला, तालाब आदि में नहीं किया जाएगा। इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक पर प्रस्तावित खदान के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक पर भारत सरकार, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना का.आ.804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित न होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 04/08/2022 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. क्रशर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित क्वारी प्लान स्थानांतरित कर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण कर, पौधों में नम्बरिंग कर के.एम.एल. फाईल सहित फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 27/02/2023 को आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत करते हुये सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 अनुसार:-

A. Proposals involving expansion of existing EC

i. At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से तीन माह के भीतर प्राप्त नहीं होने की दशा में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाना आवश्यक है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 327/खनिज/ख.ति./स्था./2023 कबीरधाम, दिनांक 11/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018-19	20
2019-20	400
2020-21	20
2021-22	निरंक
2022-23	निरंक

3. क्रशर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार स्थानांतरित कर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण किये जाने बाबत् पूर्व में भी शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि क्रशर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार स्थानांतरित कर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण कर, पौधों में नम्बरिंग कर के.एम.एल. फाईल सहित फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।
2. क्रशर को लीज क्षेत्र में अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार स्थानांतरित कर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में वृक्षारोपण कर, पौधों में नम्बरिंग कर के.एम.एल. फाईल सहित फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

4. **मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड (मोहरा (ब्लॉक–ए) लाईम स्टोन ब्लॉक), ग्राम–मोहरा, तहसील–सिमगा तथा ग्राम–पत्थरचुआ एवं भालुकोना, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2121)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /81526/2022, दिनांक 02/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 17/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 14/11/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहरा, तहसील–सिमगा तथा ग्राम–पत्थरचुआ एवं भालुकोना, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित ग्राम–भालुकोना, तहसील–पलारी स्थित खसरा क्रमांक 1, 2 एवं अन्य 50 खसरे, ग्राम–मोहरा, तहसील–सिमगा स्थित खसरा क्रमांक 1673/1, 1673/2 एवं अन्य 34 खसरे, ग्राम–पत्थरचुआ, तहसील–पलारी स्थित खसरा क्रमांक 144, 154 एवं अन्य 327 खसरे, कुल क्षेत्रफल–127.046 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित Limestone Production- 1.50 Million TPA, Over burden- 0.16 Million TPA, Inter burden- 0.008 Million TPA, Screen Waste- 0.167 Million TPA, Top Soil- 0.012 Million TPA, Total Excavation: 1.847 Million TPA, Proposed Primary Crusher - 800 TPH & Secondary Crusher - 400 TPH along with Wobbler है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 76.57 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रवि तिवारी, मुख्य कार्यपालक एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स जेएम इन्फ्रायरोनेट प्राईवेट लिमिटेड, गुड़गांव की ओर से डॉ. अनिल कुमार त्रिवेदी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत कुण्डहरडीह का दिनांक 27/09/2022, ग्राम पंचायत मुसुवाडीह का दिनांक 14/10/2022 एवं ग्राम पंचायत मोहरा का 11/11/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के ज्ञापन क्रमांक /बलौदा–भाटा/चुप/खयो–1331/2022 रायपुर, दिनांक 20/05/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 564/तीन–6/न.क्र./2022, बलौदाबाजार, दिनांक 20/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, रकबा 5.983 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 564/तीन–6/न.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 20/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है, अपितु 200 मीटर की परिधि में माइनर नहर एवं दक्षिण दिशा में बरसाती नाला स्थित है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड के नाम पर है, जो छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक/एफ 3–05/2020/12 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल भूमि 127.046 हेक्टेयर में से 1.744 हेक्टेयर शासकीय भूमि, 0.101 हेक्टेयर खासगाह भूमि एवं 125.201 हेक्टेयर भूमि मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड के नाम पर है। कुल क्षेत्रफल 127.046 हेक्टेयर क्षेत्र को नक्शे में चिन्हित (को–ऑर्डिनेट्स सहित) कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि भू–स्वामित्व की जानकारी खसरावार सारणीबद्ध कर (Tabular form) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/ खनिज/2500 बलौदाबाजार, दिनांक 12/09/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से लगभग 7.42 कि.मी. की दूरी पर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान के.एम.एल. फाईल से देखने पर आवेदित क्षेत्र बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से लगभग 27 कि.मी. की दूरी पर होना पाया गया।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पत्थरपुआ 150 मीटर एवं अस्पताल रेगाडीह 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानन्द विमानतल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रायपुर 42 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. दूर है। टेंगना नाला 170 मीटर, खितवर नाला एवं महानदी नहर 500 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 56.847 मिलियन टन, माईनेबल रिजर्व 51.234 मिलियन टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 37,460 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी मात्रा 0.398 मिलियन टन है एवं ओवर बर्डन की मात्रा 5.554 मिलियन टन है। बेंच की ऊंचाई 12 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर है। खदान की संभावित आयु 42 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में 2 क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी क्षमता क्रमशः 800 एमटीएच एवं 400 एमटीएच है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	आई.बी. (टन)	स्क्रीन वेस्ट (टन)	आरओएम उत्खनन (टन)
प्रथम	–	–	–
द्वितीय	–	8,333	83,333
तृतीय	–	11,111	1,11,111
चतुर्थ	–	13,889	1,38,889
पंचम	–	16,667	1,66,667

आगामी वर्षों का उत्खनन विवरण

वर्ष	आई.बी. (टन)	स्क्रीन वेस्ट (टन)	आरओएम उत्खनन (टन)
षष्टम	5,355	22,222	2,22,222
सप्तम	5,355	22,222	2,22,222
अष्टम	5,355	55,556	5,55,556
नवम	5,355	1,11,111	11,11,111
दशम	8,260	1,66,667	16,66,666

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 100 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसमें से डस्ट सप्रेशन (उत्खनन प्रक्रिया एवं क्रशर) हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन, पेयजल तथा घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, वर्कशॉप हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन तथा वृक्षारोपण हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति का स्त्रोत/माध्यम संबंधी जानकारी एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 9,300 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल क्षेत्रफल 127.046 हेक्टेयर में से 21.9 हेक्टेयर क्षेत्र को शासन एक्सप्लोर नहीं किये जाने के कारण अबाधित क्षेत्र (Undisturbed Area) रखा गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के भीतर 800 एमटीएच एवं 400 एमटीएच क्षमता के 2 नग क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, क्रशर को कवर्ड शेड में रखा जाना प्रस्तावित है तथा क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर लगाया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि क्रशर की स्थापना निकटतम रहवासी क्षेत्र से दूरी रखते हुए

ले–आउट प्लान में दर्शाते हुए ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के मध्य किया जाएगा। इस संबंध में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण के दौरान बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 जनवरी 2023 तक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 564/तीन–6/न.क./2022, बलौदाबाजार, दिनांक 20/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, रकबा 5.983 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मोहरा, पत्थरचुआ एवं भालुकोना) का रकबा 127.046 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मोहरा, पत्थरचुआ एवं भालुकोना) को मिलाकर कुल रकबा 133.029 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit the top soil & overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.

   iii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

   iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   v. Project proponent shall submit the land documents (B-1) with khasra number in tabular form & also submit the consent letter from land owners for uses of land (If required).

   vi. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.

   vii. Project proponent shall ensure that the establishment of crusher is away from the habitation and submit a layout plan with KML file and incorporate in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

ix. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi.

x. Project proponent shall submit aerobiological study report.

xi. Project proponent shall submit details of water balance chart & ETP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xiii. EIA study shall be done at minimum 08 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xx. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xxi. Project proponent shall submit the area details of crusher and details of pollution control arrangement in crusher.

xxii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the

plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 08/02/2023 को संपन्न 139वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. चारागाह भूमि 0.101 हेक्टेयर को उत्खनन कार्य किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त हुई है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. Project Proponent has informed that total requirement of water will be 100 KLD for mining/industrial purposes. Since there is no letter comfort or in principal approval for drawl of said quantity of water from the concerned authority like C.G.W.A./WRD therefore proposal is being returned to SEAC to examine/appraise the above desired observations.
3. Project Proponent has submitted that 9,300 nos of trees shall be planted in the safety zone area of 7.5 meters. Since Project Proponent intends to mine cement grade limestone at the rated (peak production) capacity of 16,66,666 tons of ROM and limestone production capacity of 1.5 million tons per annum i.e. 15 lakh ton per annum. Therefore proposal needs to be re-examined in view of the aforesaid observation and 3-tier plantation in safety zone area will be required to prevent and control the mineral dust/fugitive emissions to minimize the impact of silica, alumina and iron in and around the surrounding habitation.
4. Project Proponent intends to install two crushers each with the capacity of 800 TPH and 400 TPH within the lease area, however there is insufficient information regarding the location of the proposed crushers, at layout plan. Therefore it is opined that the proposal needs to be re-examined to assess the pollution load of existing and after commencement of crushers operation and Project Proponent is required to submit the above said observations on KML file.
5. उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 455वीं बैठक दिनांक 21/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई:–

1. चारागाह भूमि 0.101 हेक्टेयर में उत्खनन कार्य किये जाने बाबत् जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. प्राधिकरण की 139वीं बैठक दिनांक 08/02/2023 में लिए गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक 2 के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा तत्समय गहन चर्चा उपरांत अतिरिक्त शर्त (vi) के अधीन टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया था।
3. प्राधिकरण की 139वीं बैठक दिनांक 08/02/2023 में लिए गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक 3 के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा तत्समय गहन चर्चा उपरांत प्रस्तुतीकरण के दौरान लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 37,460 वर्गमीटर में 3 पंक्तियों में 9,300 नग वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देश दिया गया था। अतः इस संबंध में समिति द्वारा अतिरिक्त शर्त (xvi) के अधीन टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया था।

4. प्राधिकरण की 139वीं बैठक दिनांक 08/02/2023 में लिए गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक 4 के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा तत्समय गहन चर्चा उपरांत अतिरिक्त शर्त (vii) के अधीन टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया था।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि चारागाह भूमि 0.101 हेक्टेयर में उत्खनन कार्य किये जाने बाबत् अनुमति/जानकारी/दस्तावेज परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-
परियोजना प्रस्तावक द्वारा चारागाह भूमि 0.101 हेक्टेयर में उत्खनन कार्य किये जाने बाबत् निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया है:-

"This is greenfield mining project applied for TOR approval, as per the provisions of EIA Notification 2006, as amended there of and conditions of Letter of Intent (LOI) Letter has been issued by State Government of Chhattisgarh for Mohra (Block- A) Limestone Block for mineral Limestone over an area of 127.046 ha. in favour of Shree Cement Limited vide their letter no. F3- 05/2020/12, dated 31.01.2022.

Prior to initiate the mine working & excavation in Charagah Land, Permission will be obtained from the concerned state government department/s after execution of mining lease deed of the block area and before start of mining operation in the Charagah Land, as per prevailing applicable rules.

In this respect, we are herewith also submitting an undertaking as commitment to obtain prior permission of Charagah Land before start of mining operation in the Charagah Land, as per prevalent applicable rules."

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र (Undertaking) में प्रस्तुत तथ्य निम्नानुसार है:-
"We will not initiate the excavation and mine working in the Gauchar Land area without obtaining prior permission from concerned state government department/s after execution of mining lease deed of the block area and before start of mining operation in the Charagah Land, as per prevalent applicable rules. If, we not get the permission for mine working in Gauchar Land, we will excluded the Gauchar land area and left the access to Gauchar Land, we will also left the safety barrier all along the periphery of Gauchar Land."

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022 में की गई अनुशंसा के आधार पर स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स श्री रामदूत इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं.–7, ग्राम–कोनारी, बरतोरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2325)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 420819/2023, दिनांक 03/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत बरतोरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नं. 7, कुल क्षेत्रफल–3.844 हेक्टेयर में रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,800 टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 14.05 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन लाल अग्रवाल, डीयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "for all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said EIA notification, 2006 and shall be exempted from the requirement of public consultation" का उल्लेख है।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 24/12/2013 के अनुसार "All other non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates" का उल्लेख है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से उक्त अधिसूचना एवं ऑफिस मेमोरेण्डम के संदर्भ में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन/ स्पष्टीकरण मंगाये जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ई-मेल दिनांक 27/04/2023 के माध्यम से निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई है:-

"Both OM of 2013 and Notification dated 20.07.2022 is self explanatory in nature."

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/05/2023 के माध्यम से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है:-

"we operate a rolling mill in an industrial area with valid CTO issued from CECB. We would like to undertake expansion of our facility from 30,000 TPA to 59,000 TPA. As this is an expansion proposal and not a regularization process, we believe that our case should be dealt as per Office Memorandum of MoEF&CC No. J-13012/12/2013-IA-II (I) dated 24.12.2013.

The communication in this respect with Member Secretary, Expert Appraisal Committee (Industry-1 Sector), Impact Assessment Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India is also attached herewith."

उपरोक्त तथ्यों एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना एवं ऑफिस मेमोरेण्डम के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था, परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किये जाने के कारण से आवेदित प्रकरण को निरस्त किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स यूटोपिया टॉउनशीप प्रोजेक्ट (लक्ष्मी एसोसिऐट्स), ग्राम-पोटियाकला, तहसील व जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2238)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ इन्फ्रा2/411321/ 2022, दिनांक 21/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मनीष पेट्रोल पम्प के सामने, पोटियाकला रोड, तहसील व जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक – 15002 (पुराना खसरा क्रमांक 21/1, 13/8 अन्य 14), क्षेत्रफल – 4.9168 हेक्टेयर (7.0460 हेक्टेयर में से) कुल कंस्ट्रक्शन एरिया-35,620.35 वर्गमीटर में प्रस्तावित टॉउनशीप प्रोजेक्ट के

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 115 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जसदीप गांधी, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में प्रस्तुत जानकारी में एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी में बिल्टअप क्षेत्र एवं अन्य जानकारियों में भिन्नता है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को बिल्टअप क्षेत्र एवं अन्य जानकारियों में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी. एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात्, वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलङ्ग्रिुस तिर्की)	**(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)**
सदस्य सचिव	अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़

मेसर्स छापरभानपुरी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री नरपत मौर्य) को खसरा क्रमांक 1415, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम–छापरभानपुरी, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 12,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 12,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।

4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।

6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

9. किसी विमनी / वैट / प्वाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18	2%	0.36	Following activities at Nearby Village- Chhaparbhanpuri	
			Pavitra Van Nirman	2.98
			Total	**2.98**

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

19. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, जामुन, अमलतास, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 95,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,03,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत छापरभानपुरी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1137, क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

20. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

22. उत्खनन हेतु निर्धारित क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 630 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

23. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नग पौधों का रोपण (कुल 630 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं**

होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

26. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

28. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

32. पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रौक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

33. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव–जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

36. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी।

आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

38. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन / निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **parivesh.nic.in** पर भी किया जा सकता है।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स उदईबंद सेण्ड माईन (प्रो.– श्री पुरूषोत्तम यादव)

को खसरा क्रमांक 156, कुल क्षेत्रफल–4.09 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही, ग्राम–उदईबंद, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में शिवनाथ नदी से रेत उत्खनन क्षमता 61,300 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जायें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।

2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4. लीज क्षेत्र के चारो कोनों तथा सीमा लाईनों के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाये जाए ताकि नदी में लीज क्षेत्र स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सकें।

5. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।

7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 4.09 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

8. उत्खनन क्षेत्र 4.09 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 61,300 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत

उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अवैध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण,

वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 600 नग पौधों का रोपण नदी तट एवं 200 नग पौधे पहुंच मार्ग के दोनों तरफ पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37.61	2%	0.75	Following activities at Nearby, Village- Mukundpur, Gram panchayat Basantpur	
			Plantation with Fencing around Village Pond & 5 year AMC	0.90
			Total	**0.90**

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत "तालाब के चारों ओर" के तहत् (आम, जामुन, आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग पौधों के लिए राशि 3,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 66,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम मुकुंदपुर, ग्राम पंचायत बसंतपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (ग्राम–मुकुंदपुर के खसरा क्रमांक 56 में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि कोम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिको के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्युपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा

संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स बालूद सेण्ड क्वारी (डी–1), (सरपंच, ग्राम पंचायत–बालूद (श्री सन्तुराम कश्यप)) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 31, कुल क्षेत्रफल–3.84 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही, ग्राम–बालूद, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा (छ.ग.) में डंकनी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 23,040 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति **खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक** की अवधि हेतु वैध होगी।

2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (**Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016**) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (**Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining**) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (**Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining**) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4. लीज क्षेत्र के चारो कोनों तथा सीमा लाईनों के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाये जाए ताकि नदी में लीज क्षेत्र स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सकें।

5. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (**Siltation Study**) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (**Replenishment**) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।

7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 3.84 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. उत्खनन क्षेत्र 3.84 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 23,040 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (**Levels**) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत

उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमे तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अवैध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फयूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण,

वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 217 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
14	2%	0.28	Following activities at Nearby, Deogudi, **Village- Balood**	
			Plantation with tree guard in Deogudi & 5 years AMC	3.99
			Total	**3.99**

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत "वृक्षारोपण" के तहत् (नीम, आम, पीपल, कदंब, जामुन, बरगद, अमलताश, करंज, आंवला, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 71 नग पौधों के लिए राशि 5,396 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 21,300 रूपये, खाद के लिए राशि 540 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 82,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,09,236 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,90,488 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालूद के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 654, रकबा 30 डिसमिल) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर / प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी / प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी / प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल / अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान / उद्योग / भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र / राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों / शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में

मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों,

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ में प्रस्तुत विवरण मे कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ को पुन: नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.